जनपद हमीरपुर

थाना- सिसोलर **दिनांक 10.07.2026**

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 40/2020 धारा 457/380/411 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित वर्ष 2020 से फरार चल रहे मफरुर अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.02.2020 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिसोलर पर मु0अ0सं0 40/2020 धारा 457/380 भा0दं0सं0 के तहत अज्ञात चोरों द्वारा एक घर से ₹5,000 नगद, सोने की अंगूठी, सोने की बेसर, चाँदी की पायल तथा पीतल व अन्य बर्तनों की चोरी किए जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

विवेचना के दौरान दो अभियुक्त प्रकाश में आए। एक अभियुक्त रामप्रकाश गुप्ता को पूर्व में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के पीतल के बर्तन एवं एक जोड़ी चाँदी की पायल बरामद की गई थी। जबकि दूसरे अभियुक्त गुलबदन सिंह पुत्र झण्डू सिंह निवासी ग्राम भैंसमरी, थाना सिसोलर, जनपद हमीरपुर के विरुद्ध गिरफ्तारी न होने पर दिनांक 27.04.2021 को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की की कार्यवाही की गई तथा मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

लगातार फरार चल रहे अभियुक्त गुलबदन सिंह को थाना सिसोलर पुलिस ने आज दिनांक 10.07.2026 को ग्राम भैंसमरी से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गुलबदन सिंह पुत्र झण्डू सिंह (उम्र करीब 46 वर्ष) निवासी ग्राम भैंसमरी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम भैंसमरी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 शिवमदत्त
2. रि0का0 नीरज कुमार यादव